

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व

महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, घड़ी चौक के पास, सिविल लाइन
रायपुर-492001, छत्तीसगढ़

फैक्स: 0771-2234731, दूरभाष: 0771-2537404, ई-मेल: deptt.culture@gmail.com,
Web: www.cgculture.in, Facebook: cgculture.deptt@gmail.com, Twitter: @culture_deptt


// कम्प्यूटर सामग्री, टोनर एवं मेंटेनेश हेतु निविदा सूचना //

क्रमांक १३०५/सं.पु./भंडार/2019

रायपुर, दिनांक २९/८/2019

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व में स्थापित कुल 32 नग कम्प्यूटर, 20 प्रिंटर, 21 नग यू.पी.एस., 09 नग लैपटॉप, 02 नग स्कैनर एवं 08 नग फोटोकापियर मशीन का वार्षिक मेंटेनेश एवं कम्प्यूटर सामग्री तथा टोनर/कॉटरेज उपलब्ध कराये जाने हेतु मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा प्रपत्र जमा करने एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार है :-

1. निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 500/- (रु. पांच सौ) मात्र नगद पर संस्कृति एवं पुरातत्व कार्यालय के कैश शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालय से जारी निविदा फार्म में ही निविदा जारी होगा।
2. दिनांक 18.09.2019 को अपरान्ह 03.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर (छत्तीसगढ़) में आमंत्रित है। निविदा उसी दिनांक 18.09.2019 को अपरान्ह 4.00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।
3. अमानत राशि के रूप में "संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व" के नाम से देय रु. 50000.00 (बिना ब्याज का वापसी योग्य) का एफ.डी.आर.। दूसरा लिफाफा फाईनेंशियल बिड का होगा जिसमें निर्धारित प्रारूप में सूची सहित दरें होंगी। दोनों लिफाफो में सामने टेक्निकल बिड एवं फाईनेंशियल बिड लिखा रहेगा।
4. निविदा संबंधी अधिक जानकारी के लिए नियम शर्तें एवं निविदा प्रपत्र संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व के भंडार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
5. निविदा के नियम शर्तों में या अन्य किसी प्रकार संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व की वेबसाइट www.cgculture.in में संशोधन की जानकारी दी जायेगी।
6. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने, निविदा की किसी भी शर्तों, नियम कंडिका को शिथिल करने अथवा संपूर्ण निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार आयुक्त अथवा संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को होगा।


संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्व